भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2726

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए बजट आवंटन

2726. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए, विशेषकर परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र में, विशेषकर परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, निर्मित ग्रामीण सड़कों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पहले सड़क संपर्क विहीन ग्रामीण बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने का अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़क संपर्क प्रदान की गई बस्तियों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए, विशेषकर धाराशिव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, आवंटित निधि में केंद्रीय हिस्से का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): पीएमजीएसवाई के तहत, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां समग्र रूप से जारी की जाती हैं, न कि जिला-वार। इसके अलावा, निधियां पहले से चल रहे कार्यों, परियोजना में हासिल की गई प्रगति और आवश्यक दस्तावेजों को विधिवत जमा करने के आधार पर जारी की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के तहत

निधियों को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, जारी की गई निधियां और महाराष्ट्र राज्य द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	**जारी**	**व्यय (राज्य हिस्से सहित)**
2021-22	0.00	376.73
2022-23	742.995	1074.02
2023-24	1110.80	1507.37
2024-25	854.93	1524.10
2025-26	529.73	1402.23
2026-27 (30.07.2026 तक)	354.16	196.36

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान, पीएमजीएसवाई के विभिन्न प्रचलित घटकों के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 6,013.83 किमी की लंबाई वाले कुल 850 सड़क कार्यों और 242 पुलों का निर्माण किया गया है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

वित्तीय वर्ष	**निर्मित**		
	सड़कों की संख्या	**पुलों की संख्या**	**लंबाई (किमी)**
2021-22	24	20	199.16
2022-23	80	74	1,143.48
2023-24	230	19	1,569.25
2024-25	246	12	2,048.61
2025-26	270	117	1,053.33
Total:	**850**	**242**	**6,013.83**

परभणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के परभणी और जालना जिलों के भाग शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, पीएमजीएसवाई के विभिन्न प्रचलित घटकों के तहत, परभणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 208 किमी के सड़क कार्यों और 15 पुलों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 144 किमी सड़क कार्यों और 9 पुलों का निर्माण किया जा चुका है।

पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और संसदीय क्षेत्र-वार विवरण तथा निर्माण के चरणों की जानकारी कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb पर प्राप्त की जा सकती है।

(ग) और (घ): दिनांक 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमजीएसवाई-I के तहत कुल 1,63,275 स्वीकृत बसावटों में से 1,62,845 बसावटों (99.7%) को संपर्कता प्रदान कर दी गई है। शेष 401 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए सड़क कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पीएम जनमन के तहत, 3211 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए 7,984 किमी की लंबाई वाले 2797 सड़क कार्यों और 291 पुलों को स्वीकृति दी गई थी। इसमें 780 बसावटों को शामिल करते हुए 3044 किमी लंबाई वाले 675 सड़क कार्यों का निर्माण किया जा चुका है। अन्य सड़क कार्य प्रगति पर हैं तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और मार्च 2028 तक पूरे किए जाने हैं। वीवीपी-I के तहत, 137 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,085 किमी लंबाई वाली 113 सड़कों और 35 पुलों को स्वीकृति दी गई है। इसमें से 258 किमी लंबाई वाली 10 सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

सितंबर 2024 में, भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई IV का शुभारंभ किया। पीएमजीएसवाई IV का प्राथमिक उद्देश्य लगभग 25,000 पात्र असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। अब तक, 7455 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए 19,643 किमी लंबाई के 6752 सड़क कार्यों और 94 पुलों को स्वीकृत किया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ ***https://pmgsy.dord.gov.in>habitations coverage*** पर प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ): योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से जारी की जाती हैं, न कि जिला-वार/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है: -

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	**जारी**
2021-22	0.00
2022-23	742.995
2023-24	1110.80
2024-25	854.93
2025-26	529.73
2026-27 (30.07.2026 तक)	354.16
